न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 04/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/66

अपीलाण्ट्स :–

1. मृत भोपा पुत्र हीराजी के कायम मुकाम :–
   1/1. मोती पुत्र स्व. भोपाजी
   1/2. देवीलाल पुत्र स्व. भोपाजी
   1/3. पेमाराम पुत्र स्व. भोपाजी
   1/4. बाबूलाल पुत्र स्व. भोपाजी जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी भटवाड़ा जिला पाली (राज.)
   1/5. सायरी पुत्री स्व. भोपाजी, पत्नी हेमाजी, जाति भाट, निवासी दानासनी, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
   1/6. गीला पुत्री स्व. भोपाजी, पत्नी गिरधारी, जाति भाट, निवासी नया गांव, पाली (राज.)
   1/7. दाकु पुत्री स्व. भोपाजी, पत्नी पेमाजी
   1/8. कमला पुत्री स्व. भोपाजी, पत्नी भंवरलालजी जातिगण भाट निवासीगण सोसायटी नगर, पाली (राज.)
2. मृत हजारी पुत्र केलाजी के कायम मुकाम :–
   2/1. मोती पुत्र स्व. हजारीजी
   2/2. हरीराम पुत्र स्व. हजारीजी
   2/3. मंगलाराम पुत्र स्व. हजारीजी, जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
   2/4. सायरी पुत्री स्व. हजारीजी, पत्नी ओटारामजी, जाति भाट निवासी करनियाली, जिला जोधपुर
3. भीमा पुत्र केलाजी, जाति भाट, निवासी सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
4. मृत जीवा पुत्र चंदाजी के कायम मुकाम :–
   4/1. कानाराम पुत्र स्व. जीवाजी
   4/2. छगना पुत्र स्व. जीवाजी, जातिगण भाट, निवासीगण

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. बाबुलाल पुत्र राऊजी, जाति भाट, निवासी सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत, जरिये सरपंच भांगेसर, तहसील पाली
3. तहसीलदार पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
4/3. दाकु पुत्री स्व. जीवाजी, पत्नी पनारामजी, निवासी रावण चबूतरा, पाली (राज.)
4/4. मृत मोहनलाल पुत्र स्व. जीवाजी के कायम मुकाम :–
4/4/1. सायरी पत्नी स्व. मोहनलालजी
4/4/2. जसा पुत्र स्व. मोहनलालजी,
4/4/3. हीना पुत्री स्व. मोहनलालजी
4/4/4. बसीया पुत्री स्व. मोहनलालजी
4/4/5. धापू पुत्री स्व. मोहनलालजी
4/4/6. नाथू पुत्र स्व. मोहनलालजी
4/4/7. रितिक पुत्र स्व. मोहनलालजी, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सायरी, समस्त जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
4/5. मृत भंवरलाल पुत्र स्व. जीवाजी के कायम मुकाम :–
4/5/1. शांति पत्नी स्व. भंवरलालजी
4/5/2. कालूराम पुत्र स्व. भंवरलालजी
4/5/3. सीता पुत्री स्व. भंवरलालजी
4/5/4. धापू पुत्री स्व. भंवरलालजी
4/5/5. पूजा पुत्री स्व. भंवरलालजी, जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली
4/6. मृत शंकरलाल पुत्र स्व. जीवाजी के कायम मुकाम :–
4/6/1. दाकू पत्नी स्व. शंकरलालजी
4/6/2. गोपाल पुत्र स्व. शंकरलालजी
4/6/3. रेखा पुत्री स्व. शंकरलालजी जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली
5. देवा पुत्र लालाजी

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

6. बाबू पुत्र हेमाजी, जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
7. मृत समन्दर पुत्र अदराजी के कायम मुकाम :–
7/1. सोनीदेवी पत्नी स्व. समंदरजी
7/2. मृत लखाराम पुत्र स्व. समंदरजी के कायम मुकाम :–
7/2/1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. लखारामजी
7/2/2. नरसिंह पुत्र स्व. लखारामजी
7/2/3. अशोक पुत्र स्व. लखारामजी
7/2/4. राधा पत्नी स्व. लखारामजी, जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी भटवाड़ा, पाली
7/2/5. पुषा पुत्री स्व. लखारामजी पत्नी किशनारामजी निवासी काणन्द्रा, तहसील बाली जिला पाली (राज.)
7/2/6. संतोष पुत्री स्व. लखारामजी, पत्नी इन्दरराम जाति भाट निवासी
7/3. आईदान पुत्र स्व. समंदरजी, जाति भाट, निवासी सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली
7/4. अमादेवी पुत्री स्व. समंदरजी, पत्नी मोहनजी, जाति भाट, निवासी केके कॉलोनी, बासनी जोधपुर
7/5. शांता पुत्री स्व. समंदरजी, पत्नी नारायणजी, जाति भाट, निवासी मानपुरा भाकरी, जिला पाली (राज.)
7/6. कमला पुत्री स्व. समंदरजी, पत्नी लक्ष्मण,
7/7. सीखा पुत्री स्व. समंदरजी पत्नी सोनाजी, जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली।
8. मृत हरलाल पुत्र सुरताजी के कायम मुकाम :–
8/1. पिराराम पुत्र स्व. हरलालजी, जाति भाट,
8/2. मृत बसी पुत्री स्व. हरलालजी, पत्नी लाडुजी, जाति भाट, निवासी चोटिला जिला

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

पाली (राज.) के कायम मुकामः–
8/2/1. कलजी पुत्र लाडुजी
8/3. गंगा पुत्री स्व.
हरलालजी, पत्नी लूलसारामजी,
जाति भाट, निवासी नयागांव,
तहसील व जिला पाली (राज.)
8/4. जमना पुत्री स्व.
हरलालजी, पत्नी मंगलारामजी,
जाति भाट, निवासी भटवाड़ा,
पाली (राज.)

9. मृत हेमा पुत्र गोबरजी के कायम मुकाम :–
9/1. जसराम पुत्र स्व.
हेमारामजी
9/2. कानाराम पुत्र स्व.
हेमारामजी
9/3. रामलाल पुत्र स्व.
हेमारामजी
9/4. मृत देवाराम पुत्र स्व.
हेमारामजी के कायम मुकाम :–
9/4/1. ओमप्रकाश पुत्र स्व.
देवारामजी
9/4/2. गोविंदराम पुत्र स्व.
देवारामजी
9/4/3. संजय पुत्र स्व.
देवारामजी
9/4/4. सुखा पत्नी स्व.
देवारामजी
9/5. सायरी पुत्री स्व. हेमाजी,
पत्नी मिश्रीलालजी
9/6. अणची पुत्री स्व. हेमाजी,
पत्नी लादूजी
9/7. अमीया पुत्री स्व. हेमाजी,
पत्नी पुखराजी, जातिगण भाट,
निवासीगण सुभाष नगर–बी,
भटवाड़ा, पाली (राज.)

जिला कलेक्टर, पाली

10. मृत हजारी पुत्र स्व. सवाजी के कायम मुकाम :–
10/1. राजू पुत्र स्व. हजारीजी
10/2. मदन पुत्र स्व. हजारीजी
10/3. कल्लू पुत्र स्व.हजारीजी
10/4. मृत सोनाराम पुत्र स्व.
हजारीजी के कायम मुकाम :–
10/4/1. रमेश पुत्र स्व.
सोनारामजी
10/4/2. कमलादेवी पत्नी
स्व. सोनारामजी
10/5. मृत कालू पुत्र स्व.
हजारीजी के कायम मुकाम :–
10/5/1. कमला पत्नी स्व.

कालूजी
10/5/2. गोपाल उर्फ गोपीराम पुत्र स्व. कालूजी
10/5/3. सेताराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र स्व. कालूजी
10/5/4. दुर्गा पुत्री स्व. कालूजी, जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष नगर–बी, भटवाड़ा, पाली (राज.)
11. मृत धना पुत्र स्व. प्रतापजी के कायम मुकाम :–
11/1. मृत पुनाराम पुत्र स्व. धनाजी के कायम मुकाम :–
11/1/1. किशन पुत्र स्व. पुनारामजी
11/1/2. महेन्द्र पुत्र स्व. पुनारामजी
11/1/3. ओमाराम उर्फ अमर पुत्र स्व. पुनारामजी
11/1/4. नवीया पुत्री स्व. पुनारामजी
11/1/5. किरण पुत्री स्व. पुनारामजी
11/1/6. सनु पुत्री स्व. पुनारामजी
11/2. मृत विरम पुत्र स्व. धना के कायम मुकाम :–
11/2/1. गीता पत्नी स्व. विरमजी
11/2/2. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र स्व. विरमजी
11/2/3. रोशनलाल पुत्र स्व. विरमजी नाबालिग
11/2/4. मंजू पुत्री स्व विरमजी
11/2/5. टीला पुत्र स्व. विरमजी
11/2/6. अंजली पुत्री स्व. विरमजी नाबालिग
11/2/7. ललीता पुत्री स्व. विरमजी नाबालिग जरिये माता गीता
11/3. रमेश पुत्र स्व. धनाजी
11/4. विजाराम पुत्र स्व. धनाजी
11/5. विजयराम पुत्र स्व. धनाजी
11/6. वदीया पुत्री स्व. धनाजी, पत्नी मंगलारामजी जातिगण भाट, निवासीगण सुभाष

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

नगर–बी, भटवाड़ा, पाली
12. मृत प्रताप पुत्र स्व. अमराजी के
कायम मुकाम :–
12/1. मृत कानाराम पुत्र स्व.
प्रतापजी
12/1/1. किशन पुत्र स्व.
कानारामजी
12/2. समंदर पुत्र स्व.
प्रतापजी जातिगण भाट,
निवासीगण सुभाष नगर–बी,
भटवाड़ा, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा,
तरूण उपाध्याय

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 03.02.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम भालेलाव पटवार हल्का भालेलाव के नामान्तरकरण संख्या 532 पर वर्णित आदेश दिनांक 18.06.1993 नायब तहसीलदार पाली द्वारा पारित किया गया को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा व तरूण उपाध्याय वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम भालेलाव, तहसील पाली के खसरा संख्या 374/340 रकबा 13 बीघा एव खसरा संख्या 400/340 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि राउ पुत्र भैराजी जाति भाट के नाम की खातेदारी की पूर्व में स्थित थी। उपरोक्त खसरा संख्या के इससे पूर्व जमाबंदी में 360/340/6 एवं 374/340/6 थे जिसे शुद्वि पत्र संख्या 05 दिनांक 04.01.2012 द्वारा खसरा संख्या 360/340/6 को खसरा संख्या 400/340 एवं खसरा संख्या 374/340/6 को खसरा संख्या 374/340 दर्ज किया गया। उक्त भूमि में से तत्कालीन खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पिता ने अपने जीवनकाल में पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 19.09.1978 द्वारा अपीलाण्ट्स संख्या 01 से 12 को खसरा संख्या 400/340 में से 12 बीघा एवं खसरा संख्या 374/340 में से 12 बीघा कुल 24 बीघा भूमि को विक्रय की थी। उपरोक्त विक्रय पत्र में वर्णित अनुसार खसरा संख्या 360/340/6 की 12 बीघा भूमि पंजीबद्व विक्रय पत्र में दर्ज क्रेता संख्या 01 से 06 को एवं खसरा संख्या 374/340/6 की 12 बीघा भूमि उपरोक्त पंजीबद्व विक्रय पत्र में दर्ज क्रेता संख्या 01 से 12 को विक्रय की थी। उपरोक्त विक्रय पत्र अनुसार बतौर क्रेता अपीलाण्ट्स खरीद सुदा भूमि पर तत्समय ही काबिज हो गये थे, जो आदिनांक तक लगातार काबिज रहे है, काश्त करते रहे है। चूकि पंजीबद्व विक्रय पत्र के द्वारा ही अधिकारो का अंतरण होता है और पंजीबद्व विक्रय पत्र

से विक्रेता के अधिकार तत्समय अर्थात दिनांक 19.09.1978 को ही समाप्त हो चुके है तथा क्रेतागण अपीलाण्ट्स के अधिकार स्वतः ही क्रयशुदा भूमि में उत्पन्न हो चुके है। नामान्तरकरण नहीं भरने मात्र से क्रेतागण अपीलाण्ट्स के हक, हकुक, अधिकार समाप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण एवं नामान्तरकरण संख्या 1319 से रेस्पोडेण्ट संख्या एक को विधिक रूप से कोई हक, हकुक, अधिकार, न तो प्राप्त हुए है, न ही प्राप्त हो सकते है, फिर भी जैर अपील नामान्तरकरण की ओट में रेस्पोडेण्ट ने अपने नाम फौतेगदी नामान्तरकरण संख्या 1319 दर्ज करवा दिया और उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु आमादा हुए। जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट्स द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी पाली के न्यायालय में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1319 के विरूद्व अपील पेश की गई थी, जिसके मुकदमा संख्या 1/2021 थे। उपरोक्त अपील की सुनवाई प्रशासन गांवों के संग अभियान में केम्प भांगेसर में दिनांक 16.11.2021 को बिना अपीलाण्ट्स और अधिवक्ता को सूचना दिये रखी गई थी जहां पर तहसीलदार पाली द्वारा रिपोर्ट पेश की थी कि पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 532 भरा गया था जो दिनांक 18.06.1993 को खारिज हो चुका है। उपरोक्त आधारों पर उक्त अपील संख्या 1/2021 को बिना अपीलाण्ट्स एवं अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता को सूचित किये खारिज कर दिया गया। जैर अपील नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व मौके पर अपीलाण्ट्स काबिज होने के बावजूद भी न तो नोटिस दिया, न ही सुनवाई का अवसर दिया और विक्रय किये जाने की जानकारी होने के बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय से खारिज करवा दिया, जो अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालय को विधिक रूप से जैर अपील नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को नोटिस देना आवश्यक था। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 532 को दिनांक 18.06.1993 को फ्रेगमेण्ट के आधार पर खारिज किया गया है लेकिन फ्रेगमेण्ट के प्रावधान धारा 42 (ए) राज. टिनेन्सी एक्ट को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.11.1992 को समाप्त कर दिये थे। उक्त प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त किये गये है। इसलिए जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज करने की दिनांक को उक्त फ्रेगमेण्ट के प्रावधान अस्तित्व में नही थे जिससे जैर नामान्तरकरण आदेश काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्ध व कूटरचित होने से खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपील का प्रारूप ज्ञापन के साथ क्या–क्या दिया जायेगा और ज्ञापन की अन्तर्वस्तुएं क्या होगी यह विधि में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपील के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु में उस आदेश जिसकी अपील की जाती है, आक्षेप के आधार, ज्ञापन में किसी तर्क या विवरण के बिना संक्षिप्त और सुभिन्न शीर्षकों में उपवर्णित होगे, विधि से संबंधित कोई बात अपील के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु का भाग नहीं होगी। इस कारण भी फ्रेगमेण्ट के प्रावधान कब तक लागू रहे थे और सरकार द्वारा उन्हे कब समाप्त किया गया था यह कानून की बात अपील के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु का भाग हो ही नहीं सकती है। साथ ही जैर नामान्तरकरण संख्या 532 को विधि अनुसार ही खारिज किया गया है और उसमें कॉलम संख्या 17 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रजिस्ट्री फ्रेगमेण्ट से प्रभावित है एवं पुरानी है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 532 उसमें दर्ज आधारों पर खारिज किया गया था जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को और अपीलाण्ट के पूर्वजों को खारिज के समय से ही रही है एवं अपीलाण्ट द्वारा उक्त देरी को शमन किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे जैर अपील मियाद बाहर होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील कूटरचित आधारों एवं मियाद बाहर प्रस्तुत करने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विवेचन करना उचित समझते है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 532 में वर्णित आदेश दिनांक 18.06.1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में 25.01.2022 अर्थात् करीब 29–30 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। वस्तुतः विवादित नामान्तरकरण में आदेश दिनांक 18.06.1993 को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पूर्वाधिकारियों द्वारा अपीलाण्ट को भूमि विक्रय किये जाने व भूमि का fragment से प्रभावित होना बताकर नामान्तरकरण संख्या 532 को दिनांक 18.06.1993 को निरस्त किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में बेचान दिनांक 21.11.1978 को किया जाना वर्णित है। क्रेता द्वारा अपने विक्रय के नामान्तरकरण को वर्ष 1993 में निरस्त हो जाने के बाद सर्वप्रथम वह अपनी जानकारी रेस्पो. संख्या 01 के पूर्वाधिकारी विक्रेता के पुत्र के नाम विरासत से नामान्तरकरण खोलने के आधार पर निर्णय दिनांक 16.11.2021 को होना बताते है अर्थात् वह इस अपील जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उसके द्वारा दिनांक 01.02.2021 को अपील संख्या 01/2021 में प्रस्तुत करता है तथा वह इस बात से भली–भांति अवगत है कि उनके विक्रय का नामान्तरकरण नहीं होकर विरासत का नामान्तरकरण विक्रेता के पुत्र के नाम हो रहा है तो उसे विक्रय के नामान्तरकरण के खारिज होने की जानकारी होना स्वाभाविक है परन्तु इस तथ्य को उसके द्वारा उजागर नहीं किया गया है तथा विक्रय के निरस्तशुदा नामान्तरकरण की जानकारी होने का भार भी वह उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय के निर्णय के आधार पर स्वयं को होना व्यक्त करता है जो आश्चर्यजनक है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि एक नामान्तरकरण जिसमें विक्रय का नामान्तरकरण निरस्त हो चुका है तथा विक्रेता के वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज होने की अपील वह प्रस्तुत करता है तो वह दो विकल्प, जिसमें विक्रय के नामान्तरकरण को निरस्त होने की अपील प्रस्तुत करने अथवा विक्रेता के वारिश के नाम नामान्तरकरण दर्ज होने की अपील प्रस्तुत करने अर्थात् दो विकल्प में से कोई एक विकल्प चुन सकता था एवं उसके द्वारा जब द्वितीय विकल्प विक्रेता के पुत्र के नाम विरास्त के नामान्तरकरण की अपील दिनांक 01.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी एवं उक्त अपील जब निरस्त हो गई तो उसकी अपील करने के स्थान पर पुनः 29 वर्षों के उसी विक्रय के निरस्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत किये जाने एवं उसकी जानकारी नहीं होना व्यक्त करना स्वयं आश्चर्यजनक है। एक विक्रय का नामान्तरकरण जो कि 30 वर्ष पूर्व अपास्त हो चुका है उसको पुनः विवादित इस आधार पर करने की उसे निरस्त विक्रय पत्र नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी, सामान्य विवेक से परे है तथा यह वादकरण की बाहुल्यता पैदा करता है एवं करेगा क्योंकि यदि अपीलाण्ट द्वारा विक्रेता के पुत्र के नाम नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत कर चुका है एवं उक्त अपील खारिज हो चुका है तो उसके पास जैसा कि उसने स्वयं ने न्यायिक नजीर 2016-17 RRT 459 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है एक बार पंजीबद्ध विक्रय–पत्र से सम्पति विक्रय करने के बाद विक्रेता के सारे अधिकार समाप्त हो जाते है तथा विक्रेता के वारिशान् को आपत्ति करने का कोई हक नहीं रहता। विक्रेता के वारिशान् के नाम नामान्तरकरण दर्ज होता है, तो अवैध एवं शून्य है। तद्नुसार उसे इस नामान्तरकरण जिसमें विरासत का नामान्तरकरण खोला है, उसकी अपील की जानी चाहिए थी जबकि उसके द्वारा उक्त निर्णय को अन्तिम मानते हुए पूर्व के 29 वर्ष पुराने नामान्तरकरण आदेश की जानकारी का अभाव बताते हुए अपील प्रस्तुत की है जो कदापि अन्दर मियाद नहीं मानी जा सकती क्योंकि अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर नामान्तरकरण में वर्णित आदेश दिनांक 18.06.1993 को लगभग 30 वर्ष गुजरने का कोई सारगर्भित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे 1998 RRC 421, 2016 RRD 351, 1994 RRD 714, 2016-17 RRT 459, 2023(2) RRT 1115 SC, 1998 RRD

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

319 (HC), 1994 RRD 742, 1995 RRD 567, 2023 (2) RRT 1040, 2024 (2) RRT 1240, 2024(1) RRT 82, 1995 RRD 406, 1997 RRD 237 प्रस्तुत की है परन्तु इस प्रकरण पर उक्त न्यायिक नजीरे चस्पा नहीं होती क्योंकि इस प्रकार की 29 वर्षों की मियाद को कण्डोन किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है तथा अपीलाण्ट का यह कृत्य वाद बाहुल्यता को प्रकट करता है तथा अपीलाण्ट के कथन में भी वर्तमान विचाराधीन अपील एवं विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1319 में भी विरोधाभास है।

समग्रतः अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से अपील पेश नहीं करने, मियाद कण्डोन करने के लिए औचित्यपूर्ण एवं पर्याप्त आधार नहीं लिये जाने व अनावश्यक वाद बाहुल्य सृजित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है एवं साथ ही यह परामर्श दिया जाता है कि अपीलाण्ट को अपने हक–अधिकारों के लिए उचित समझे जाने पर घोषणात्मक राहत प्राप्त कर सकते है ताकि सभी विवादों का विधिवत निस्तारण हो सके।

निर्णय आज दिनांक **03.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली